"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 32] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 10 अगस्त 2007—श्रावण 19, शक 1929

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 जुलाई 2007

क्रमांक एफ 9-13/2006/1-8.—श्री नरेन्द्र कुमार शुक्ला (रा. प्र. से.) क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी एवं पदेन उप सचिव, परिवहन विभाग को आदेश दिनांक 13-06-2007 द्वारा राज्य प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान रुपये 14300-400-18300 में नियुक्त करने के उपरान्त क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी एवं पदेन संयुक्त सचिव, परिवहन विभाग घोषित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.

रायपुर, दिनांक 28 जुलाई 2007

क्रमांक ई-7/35/2004/1/2.—श्री आर. एस. विश्वकर्मा, भा. प्र. से., क्षेत्रीय विकास आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर को दिनांक 23-7-2007 से 01-08-2007 तक (10 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 21 एवं 22 जुलाई, 2007 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री विश्वकर्मा, आगामी आदेश तक क्षेत्रीय विकास आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री विश्वकर्मा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विश्वकर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री विश्वकर्मा के उक्त अवकाश अवधि में श्री निर्मल कुमार खाखा, उपायुक्त, क्षेत्रीय विकास आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ क्षेत्रीय विकास आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर का चालू कार्य सम्पादित करेंगे.

रायपुर, दिनांक 28 जुलाई 2007

क्रमांक ई-7/60/2004/1/2.—श्री परदेशी सिद्धार्थ कोमल, भा. प्र. से., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बिलासपुर को दिनांक 16-07-2007 से 24-07-2007 तक (09 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 14 एवं 15 जुलाई, 2007 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री परदेशी सिद्धार्थ कोमल, आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बिलासपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री परदेशी सिद्धार्थ कोमल को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री परदेशी सिद्धार्थ कोमल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री परदेशी सिद्धार्थ कोमल, के उक्त अवकाश अवधि में श्री पी. सी. प्रसाद, अपर कलेक्टर, बिलासपुर अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बिलासपुर का कार्य भी सम्पादित करेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 11 जुलाई 2007

क्रमांक 373/510/2007/1-8/स्था.—श्री जी. आर. मालवीय, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग को दिनांक 18-05-2007 से 22-05-2007 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश एवं दिनांक 23-5-2007 से 23-6-2007 तक 32 दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री मालवीय को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री मालवीय अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 25 जुलाई 2007

क्रमांक 421/601/2007/1-8/स्था.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 282-83/392/2007/1-8/स्था., दिनांक 21-5-2007 द्वारा श्री जी. डी. गुप्ता, उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग को स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 27-5-2007 से 26-6-2007 तक 31 दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. पैरा-2, 3 एवं 4 आदेश दिनांक 21-5-2007 के अनुसार यथावत् होंगी.

रायपुर, दिनांक 26 जुलाई 2007

क्रमांक 426/666/2007/1-8/स्था.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 286-87/484/2007/1-8/स्था., दिनांक 26-5-2007 द्वारा श्री व्ही. के. राय, उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 8-7-2007 से 13-7-2007 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. पैरा-2, 3 एवं 4 आदेश दिनांक 26-5-2007 के अनुसार यथावत् होंगी.

रायपुर, दिनांक 27 जुलाई 2007

क्रमांक 423/593/2007/1-8/स्था.—श्री मोहन सिंह ठाकुर, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग को दिनांक 18-6-2007 से 27-6-2007 तक 10 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री मोहन सिंह ठाकुर को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री मोहन सिंह ठाकुर, अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 27 जुलाई 2007

क्रमांक 427/639/2007/1-8/स्था.—श्री सुमंत साय कुरूवंशी, लेखाधिकारी, छत्तीसगढ़ मंत्रालय को दिनांक 4-7-2007 से 11-07-2007 तक 08 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सुमंत साय कुरूवंशी को लेखाधिकारी, छत्तीसगढ़ मंत्रालय के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुमंत साय कुरूवंशी अवकाश पर नहीं जाते तो लेखाधिकारी, छत्तीसगढ़ मंत्रालय के पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार सिंह, अवर सचिव.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 जुलाई 2007

क्रमांक/6793/1524/25-2/आजावि/05.—छत्तीसगढ़ राज्य के लिए पदेन वक्फ सर्वेक्षण कमिश्नर की नियुक्ति के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में जारी आदेशों को अतिष्ठित करते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा, डॉ. अनिल चौधरी, उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, रायपुर को अन्य आदेश पर्यन्त छत्तीसगढ़ राज्य के लिए पदेन वक्फ सर्वेक्षण कमिश्नर नियुक्त करता है.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. राउत, सचिव.

क्रमांक/6633/25-2/आजावि/07 रायपुर, दिनांक 17 जुलाई 2007

डॉ. भीमराव अम्बेडकर जयंती योजना नियम

1. **योजना का नाम :—**

योजना का नाम डॉ. भीमराव अम्बेडकर जंयती योजना वर्ष 2007-08 होगा.

2. **उद्देश्य :—**

योजना का उद्देश्य प्रत्येक वर्ष डॉ. भीमराव अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में राज्य स्तर, जिला स्तर तथा विकास खण्ड स्तर पर समारोह का आयोजन कर डॉ. अम्बेडकर के जीवन दर्शन के प्रति आम जनता में जागरूकता लाना है.

3. **कार्यक्षेत्र :—**

योजना का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण राज्य होगा. यह योजना 2007-08 से लागू मानी जावेगी.

4. **अनुदान की स्वीकृति एवं क्रियान्वयन :—**

योजना के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा तीन वर्ष से पंजीकृत एवं अम्बेडकर तथा बौद्ध सामाजिक गतिविधियों से जुड़ी अशासकीय पंजीकृत संस्थाओं को अधिकतम एक लाख की राशि स्वीकृत प्रस्ताव के अनुरूप की जा सकेगी. संस्था का चयन कलेक्टर द्वारा संस्थाओं के कार्यकलाप के आधार पर किया जावेगा. कार्यक्रम का आयोजन प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल से 20 अप्रैल के मध्य किया जावेगा.

5. **बजट शीर्ष :—**

उक्त योजना के अंतर्गत आने वाला व्यय मांग संख्या-64, मुख्यशीर्ष 2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों का कल्याण, 01-अनुसूचित जातियों का कल्याण, 80-अन्य व्यय, 0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, योजना क्रमांक-6900, डॉ. भीमराव अम्बेडकर जयंती योजना, 14-सहायक अनुदान, 012-अन्य अनुदान अन्तर्गत विकलनीय होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल चौधरी, उप-सचिव.

विधि एवं विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2007

क्र. 6264/2169/21-ब/छ. ग./07.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के खण्ड 1 सहपठित छत्तीसगढ़ उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2006 के नियम 8 के उप नियम 1 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्द्वारा फास्ट ट्रेक न्यायालय में कार्यरत श्री अशोक कुमार साहू, तदर्थ जिला न्यायाधीश (तदर्थ उच्च न्यायिक सेवा के सदस्य) को पदोन्नत कर उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करता है.

No. 6264/2169/XXI-B/C. G./07.—In exercise of the powers conferred by Clause 1 of Article 233 of the Constitution of India, read with sub rule (1) of rule 8 of Chhattisgarh Higher Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules 2006, the Governor of Chhattisgarh in consultation with the High Court promotes Shri Ashok Kumar Sahu, Adhoc Additional District Judge serving in Fast Track Court (adhoc member of Higher Judicial Service) and appoints as District Judge (Entry Level) in officiating capacity form the date he assumes charge.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सामंत राय, अतिरिक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 24 जुलाई 2007

क्रमांक 6276/डी-2157/21-ब/2007.—भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872 (क्र. 15 सन् 1872) की धारा 6 तथा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, धर्म-कर्म कराने वाले (मिनिस्टर ऑफ रिलीजन) पादरी मिकाएल सागर जगदीशपुर जिला-महासमुंद को छत्तीसगढ़ राज्य के जिला-महासमुंद जिले में :—

1. विवाह अनुष्ठापित कराने; और
2. भारतीय क्रिश्चियनों (ईसाईयों) के बीच होने वाले विवाहों के प्रमाण-पत्र देने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के जिला-महासमुंद जिले के लिए अनुज्ञप्ति मंजूर करता है.

No. 6276/D-2157/21-B/2007.—In exercise of the powers conferred by section 6 and 9 of the Indian Christian Marriage Act, 1872 (No. 15 of 1872), the State Government is pleased to grant License to (Minister of Religion) Paster Michael Sagar, Mahasamund District State of Chhattisgarh :—

1. to Solemnize Marriage; and
2. to grant Certificate of Marriages solemnised between the Indian Christians.

रायपुर, दिनांक 24 जुलाई 2007

क्रमांक 6278/डी-2158/21-ब/2007.—भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872 (क्र. 15 सन् 1872) की धारा 6 तथा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, धर्म-कर्म कराने वाले (मिनिस्टर ऑफ रिलीजन) पास्टर मोसेस प्रसाद, कबीरधाम (कवर्धा) को छत्तीसगढ़ राज्य के कबीरधाम (कवर्धा) जिले में :—

1. विवाह अनुष्ठापित कराने; और
2. भारतीय क्रिश्चियनों (ईसाईयों) के बीच होने वाले विवाहों के प्रमाण-पत्र देने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के कबीरधाम (कवर्धा) जिले के लिए अनुज्ञप्ति मंजूर करता है.

No. 6278/D-2158/21-B/2007.—In exercise of the powers conferred by section 6 and 9 of the Indian Christian Marriage Act, 1872 (No. 15 of 1872), the State Government is pleased to grant license to (Minister of Religion) Paster Moses Prasad, Kabirdham (Kawardha) District State of Chhattisgarh :—

1. to Solemnize Marriage; and
2. to grant Certificate of Marriages solemnised between the Indian Christians.

रायपुर, दिनांक 24 जुलाई 2007

क्रमांक 6280/डी-2156/21-ब/2007.—भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872 (क्र. 15 सन् 1872) की धारा 6 तथा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, धर्म-कर्म कराने वाले (मिनिस्टर ऑफ रिलीजन) श्री रेव्ह. ई. मिल्टन लाल, भिलाई नगर जिला-दुर्ग को छत्तीसगढ़ राज्य के जिला-दुर्ग जिले में :—

1. विवाह अनुष्ठापित कराने; और
2. भारतीय क्रिश्चियनों (ईसाईयों) के बीच होने वाले विवाहों के प्रमाण-पत्र देने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के जिला-दुर्ग जिले के लिए अनुज्ञप्ति मंजूर करता है.

No. 6780/D-2156/21-B/2007.—In exercise of the powers conferred by section 6 and 9 of the Indian Christian Marriage Act, 1872 (No. 15 of 1872), the State Government is pleased to grant license to (Minister of Religion) Shree Rev. E. Milton Lal, Durg District State of Chhattisgarh :—

1. to Solemnize Marriage; and
2. to grant Certificate of Marriages solemnised between the Indian Christians.

रायपुर, दिनांक 24 जुलाई 2007

फा. क्र. 6284/डी-2159/21-ब/छ. ग./07.—भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872 (क्र. 15 सन् 1872) की धारा 6 तथा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्र. 14262/डी-3266/21-ब/06, दिनांक 21-12-06 में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में :—

अंकित "पास्टर सुरजीत कुमार दास" के स्थान पर "पास्टर सुजीत कुमार दास" प्रतिस्थापित किया जाए.

F. No. 6284/D-2159/XXI-B/C. G./07.—In exercise of the powers conferred by section 6 and 9 of the Indian Christian Marriage Act, 1872 (No. 15 of 1872), the State Government hereby makes the following amendment the Department Notification No. 14262/3266/21-B/06, Dated 21-12-06 namely :—

AMENDMENT

In said Notification :—

For the word "Paster Surjeet Kumar Das" The word "Sujeet Kumar Das" shall be substituted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. पाठक, उप-सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 जुलाई 2007

क्रमांक एफ 3-79/2006/बजट/गृह-दो.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 2 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नीचे दी गई सारणी में वर्णित स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व अधिसूचनाओं में आंशिक रूप से भेद करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा जन सुविधा एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से कालम नं. (3) में वर्णित पुलिस थानों के उक्त सारणी के कालम (4) की तत्संबंधित प्रवृष्टि में उल्लेखित किये गये स्थानीय क्षेत्रों को कालम नं. 3 में वर्णित थानों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ही कालमं नं. 2 में वर्णित पुलिस थाना के स्थानीय क्षेत्राधिकार में अधिसूचित करता है :—

क्र.	नवीन चौकी का नाम	उस पुलिस थाने का नाम (तह. जिला सहित) जिसमें से अपवर्जित किया गया	स्थानीय क्षेत्र	
			ग्राम का नाम	पटवारी हल्का नंबर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	चौकी बन्दोरा	थाना मालखरौदा, तह. मालखरौदा, जिला-जांजगीर-चांपा.	अण्डी	06
			करीगांव	06
			चरौदा	06
			चरौदी	06
			ढिमानी	07
			सकरी	07
			अडभार	08
			बुन्देली	08
			बंजारी	08
			बन्दोरा	08
			लीमगांव	08
			संजारी	08
			हरदी	08
			कर्रापाली	09
			हड़ताल	09
			छतौना	09
			टाटा	09
			बोकरेल	09
			दारीमुड़ा	10
			परसा	10
			परसी	10
			अण्डा	11
2.	चौकी पखनार	थाना दरभा, तह. जगदलपुर	पखनार	70
			तोयनार	वनग्राम
			कापानार	69
			मुन्देनार	वनग्राम
		थाना कोड़ेनार	नीलेगोदोबोदेनार	69
			बड़ेकाकलूर	69
			कलेपार	वनग्राम

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		थाना दरभा	बीसपुर	वनग्राम
			कुड्डुमखोदरा	वनग्राम
			कोडरी छापर	68
			गीदावारली	68
		थाना कोड़ेनार	कुम्हारसाडरा	69
			गुमडपाल	71
		थाना दरभा	केलावुर	69
		थाना कोड़ेनार	टेंमरूभाटो	68
		थाना दरभा	कटेनार	71
		थाना कोड़ेनार	घोसड़ीरास	68
			छोटेकिलेपार	68
			आदवाल	68
		थाना दरभा	मामडपार	92
			चन्द्रगीरी	71
			मुनगा	71

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय पिल्ले, सचिव.

परिवहन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 जून 2007

क्रमांक-एफ-5-58/दो/आठ-परि/07.—यत: दिनांक 01 नवम्बर 2000 को नवीन छत्तीसगढ़ राज्य का गठन होने के फलस्वरूप, छत्तीसगढ़ एवं झारखण्ड राज्य के मध्य यात्री-यान और मालयान को संचालित करने के लिये अंतर्राज्यीय अनुज्ञापत्रों की स्वीकृति देने या प्रतिहस्ताक्षर करने के लिये छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार और झारखण्ड राज्य की सरकार के बीच पारस्परिक परिवहन करार निष्पादन की आवश्यकता उद्भूत हुई है.

और यत: देश के त्वरित आर्थिक विकास और छत्तीसगढ़ तथा झारखण्ड राज्य की समीपता को ध्यान में रखते हुए, जनहित में यह उपयुक्त समझा गया कि दोनों राज्यों के बीच यात्री एवं मालवाहनों के अंतरप्रांतीय परिवहन को प्रोत्साहित किया जाय और उनके प्रचालन को विनियमित, समन्वित एवं नियंत्रित करने के उद्देश्य से दोनों राज्यों के बीच नया पारस्परिक करार किया जावे जिसके लिए दोनों राज्यों की राज्य सरकार सहमत हैं.

अतएव, करार का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे कि छत्तीसगढ़ सरकार, मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 59) की धारा 88 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए जारी करना प्रस्तावित करती है, उक्त उपधारा की अपेक्षा अनुसार ऐसे व्यक्तियों की, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिये एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

अतः एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिवस का अवसान होने पर उक्त प्रारूप करार पर विचार किया जायेगा और यह कि इस समयावधि के पूर्व उसके संबंध में किन्हीं भी आपत्तियों एवं सुझावों पर जो छत्तीसगढ़ शासन, गृह एवं परिवहन विभाग, मंत्रालय, डी.के.एस. भवन, रायपुर स्थित कक्ष क्रमांक-384 में व्यक्तिगत रूप से सुनवाई की जावेंगी। आपत्तियां एवं सुझाव यदि कोई हों तो दो प्रतियों में, अतिरिक्त मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह (परिवहन) विभाग, मंत्रालय, डी.के.एस. भवन, रायपुर को संबोधित होना चाहिये।

करार

छत्तीसगढ़ सरकार और झारखण्ड सरकार के बीच पारस्परिक परिवहन करार वर्ष, 2006

यह करार प्रथम पक्ष के रूप में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल (जिन्हें आगे छत्तीसगढ़ सरकार कहा गया है, और जिसमें पदासीन उनके उत्तराधिकारी भी सम्मिलित हैं) और द्वितीय पक्ष के रूप में झारखण्ड के राज्यपाल (जिन्हें इसमें आगे झारखण्ड सरकार कहा गया है, जिसमें पदासीन उनके उत्तराधिकारी भी सम्मिलित हैं) के बीच आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2006 को निम्नलिखित करार किया जाना प्रस्तावित है।

अतः अब उभयपक्षों के द्वारा उनके बीच निम्नलिखित करार किया जाता है :-

यह कि पारस्परिक परिवहन करार दोनों राज्यों द्वारा अपने राज्य में अधिसूचित तिथि से प्रवृत्त होगा तथा उस समय तक विधिमान्य रहेगा। जब तक कि दोनो राज्यों के बीच पुनः एक नया करार या उसका पुनर्विलोकन न हो जाये, या दोनों में से किसी एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को छैः मास की सूचना देकर विद्यमान करार को विखण्ड़ित नहीं कर दिया जायें।

1. कराधान :-

(क) विभिन्न वर्गों के अनुज्ञा-पत्रों के प्रचालित विभिन्न प्रकार के यानों के संबंध में पारस्परिक करार कर्ता राज्य के करों का भुगतान संबंधित राज्य के कराधान अधिनियम और नियमों के उपबंधों के अनुसार किया जायेगा।

(ख) वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किये जाने वाले यानों से भिन्न सभी प्रकार के मोटरयानों को, जो अनन्यतः एक राज्य के स्वामित्व द्वारा और सरकार के प्रयोजन के लिये उपयोग किये जायें, पारस्परिक करार कर्ता राज्य में समस्त करों के संदाय से छूट प्राप्त होगी।

2. करों के संदाय का ढंग :-

(क) अनुज्ञा-पत्र जारी करने वाला प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि किसी अस्थायी अनुज्ञा-पत्र या विशेष अनुज्ञा-पत्र को जारी करने के पूर्व पारस्परिक करारकर्ता राज्य के समस्त कर अग्रिम रूप से राष्ट्रीयकृत बैंक के डिमांड ड्राफ्ट द्वारा संदत्त कर दिए

गए हैं, यद्यपि डिमांड ड्राफ्ट द्वारा अग्रिम कर संदत्त नहीं किये जाने पर पारस्परिक राज्य, अपने राज्य की चेकपोस्ट पर कर की वसूली की अपेक्षा कर सकेगा।

(ख) प्रत्येक डिमांड ड्राफ्ट का क्रमांक और रकम जिसके माध्यम से प्रचालक द्वारा पारस्परिक राज्यों के करों का भुगतान किया जा चुका है, अस्थाई अनुज्ञा-पत्र/विशेष अनुज्ञा-पत्र के मुख्य पृष्ठ पर स्पष्ट रूप से पृष्ठांकित की जायेगी।

(ग) समस्त अस्थाई अनुज्ञा-पत्रों तथा विशेष अनुज्ञा-पत्रों की प्रतियां एवं संबंधित डिमांड ड्राफ्ट और अन्य सुसंगत जानकारी के साथ निम्नलिखित निदर्शन पत्र (प्रोफार्मा) में सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकारी, को पारस्परिक राज्य द्वारा तुरंत भेजी जायेगी। दोनों राज्यों के डिमांड ड्राफट परिवहन आयुक्त (संबंधित राज्य) के नाम से बनाये जायेंगे।

अनु. क्रमांक	यान के स्वामी का नाम तथा पता	अनुज्ञा-पत्र क्रमांक तथा यान क्रमांक	सकल यान भार /यान की बैठक क्षमता	अनुज्ञापत्र की बैधता		बैंक ड्राफ्ट क्रमांक और रकम
				तारीख से	तारीख तक	
1	2	3	4	5	6	7

(घ) छत्तीसगढ़ राज्य को देय समस्त करों के डिमांड ड्राफ्ट परिवहन आयुक्त, छत्तीसगढ़, के नाम पर जो रायपुर में देय हों, बनाये जायेंगे। इसी प्रकार झारखण्ड राज्य को देय समस्त करों की ड्रिमांड ड्राफ्ट सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, झारखण्ड रांची को देय होगा।

3. <u>मालयान स्थाई अनुज्ञा-पत्र :-</u>

(क) यह करार किया गया कि पारस्परिक राज्य एक दूसरे के लिये 3000 की संख्या में मालयानों के स्थाई परमिट स्वीकृत कर सकेंगे, गृह राज्य के राज्य परिवहन प्राधिकारी की सिफारिश पर पारस्परिक करार कर्ता राज्य के राज्य परिवहन प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत अनुज्ञा-पत्रों पर प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा तथा प्रतिहस्ताक्षरित राज्य के मोटर यान कराधान अधिनियम एवं नियमों के अनुसार कर का संदाय किया जायेगा।

(ख) प्रतिहस्ताक्षरित अनुज्ञा-पत्रों के अधीन प्रचालित होने वाले मालयानों का उपयोग अनन्यतः पारस्परिक करार कर्ता राज्य के राज्य क्षेत्र के भीतर पड़ने वाले किन्हीं दो बिन्दुओं के बीच माल को चढ़ाने और उतारने के लिये नहीं किया जाएगा, अर्थात ऐसे मामलों में यानों को अनन्यतः प्रतिहस्ताक्षरित करने वाले राज्य के राज्य क्षेत्र के भीतर माल के परिवहन का कोई भी कारोबार करने से प्रतिबंधित किया जाएगा, और वे ऐसी शर्तों के अधीन होंगे, जैसी मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 79 के अधीन संबंधित परिवहन प्राधिकारी अधिरोपित करना उचित समझे।

4. <u>अस्थाई अनुज्ञा-पत्र जारी करने के लिये साधारण सहमति :-</u>

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 (7) यह उपबंधित करती है, कि धारा 88 (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, एक प्रदेश का प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार दूसरे राज्य के राज्य परिवहन प्राधिकार की सहमति से साधारण या विशिष्ट अवसर के लिये धारा 87 के अंतर्गत अस्थाई अनुज्ञा-पत्र, जारी कर सकेगा जो दूसरे राज्य में विधिमान्य होगा।

विधि के इस विशिष्ट उपबंध को ध्यान में रखते हुए दोनों राज्यों के बीच यह करार किया गया कि दोनो राज्यों के राज्य परिवहन प्राधिकारी इस करार के खण्ड 5, 7, तथा 8 के अनुसरण में आवश्यकतानुसार मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 (1) के अधीन प्रतिहस्ताक्षर की अपेक्षा के बिना मालयान और संविदा गाड़ियों (ओमनी बसों और मोटर कैबों) के लिये अस्थाई अनुज्ञा-पत्र जारी करने के लिये मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 (7) के अधीन साधारण सहमति दे सकेंगे। इस करार के प्रवृत्त होने पर या उससे पूर्व साधारण सहमति दी जा सकेगी, उसकी प्रतियां अभिलेख हेतु दोनो राज्यों द्वारा आदान-प्रदान की जायेगी।

5. मालयान (अस्थाई) अनुज्ञा-पत्र :-

(क) उपरोक्त खण्ड 4 के उपबंध के अधीन रहते हुए पारस्परिक राज्य द्वारा 30 दिन से अनधिक अवधि के लिये पारस्परिक राज्य के प्रतिबंधित मार्गों को छोड़ कर मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 87 (1) तथा (2) के अंतर्गत मालयानों के लिये अस्थाई अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत किये जा सकेंगे, ऐसे स्वीकृत अस्थाई अनुज्ञा-पत्र पर पारस्परिक करारकर्ता राज्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जाना आवश्यक नहीं होगा।

(ख) ऐसे अस्थाई अनुज्ञा-पत्र निम्नलिखित शर्तों के अधीन जारी किये जायेंगे:-

(एक) पारस्परिक करारकर्ता राज्य की अधिकारिता के भीतर पूर्णतः स्थित किन्हीं दो बिन्दुओं के बीच कोई माल न तो चढ़ाया जायेगा और न ही उतारा जायेगा, अर्थात ऐसे यान अन्य पारस्परिक करारकर्ता राज्य के राज्य क्षेत्र के भीतर अनन्यतः परिवहन के किसी भी कारोबार पर चलाये जाने के लिये प्रतिबंधित रहेंगें।

(दो) प्रचालक ऐसी अन्य शर्तों का जो परमिट स्वीकृत प्राधिकारी द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 79 के अधीन अधिरोपित की जाती है, पालन करेगा।

6. संविदा मोटर कैब के स्थाई अनुज्ञा-पत्रः-

दोनो राज्य सरकार के बीच यह सहमति हुई है कि संविदा वाहन मोटर कैब के लिये 200 स्थाई परमिट एक दूसरे राज्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किये जायेंगे। इस प्रकार प्रतिहस्ताक्षरित परमिट से युक्त मोटर कैब को संबंधित राज्य के कर का भुगतान नियमानुसार करना होगा। मोटर कैब की बैठक क्षमता 6+1 से अधिक नहीं होगी।

7. संविदा मोटर कैब के अस्थाई अनुज्ञा-पत्र :-

एक राज्य के परिवहन प्राधिकारी द्वारा पारस्परिक राज्य में किसी मार्ग विशेष के लिये पारस्परिक करारकर्ता राज्य के परिवहन प्राधिकार द्वारा प्रतिहस्ताक्षर की अपेक्षा किये बिना संविदा वाहन मोटर केब के लिए अस्थायी अनुज्ञा-पत्र जारी किये जा सकेंगे। ऐसे अस्थायी अनुज्ञा-पत्रों की विद्यमानता एक माह से अधिक की नहीं होगी, तथा ऐसे अस्थायी अनुज्ञा-पत्र पर पारस्परिक राज्य के देय मोटरयान कर का भुगतान राज्य की सीमा में स्थित चेक पोस्ट पर किया जायेगा। ऐसे अस्थायी अनुज्ञा-पत्र एक वापसी फेरा के लिए विधिमान होगें। तथापि

यदि किसी कारण से एक राज्य द्वारा जारी किये गये अनुज्ञा-पत्र की वैधता अन्य राज्य के राज्य क्षेत्र में समाप्त होती है, तो ऐसे परिवहन प्राधिकारी से जिसकी अधिकारिता में उस समय यान हों, आवश्यक फीस व करों का भुगतान करने के पश्चात् एक नया अस्थायी अनुज्ञा-पत्र जारी किया जा सकेगा।

8. संविदा वाहन (अस्थाई अनुज्ञा-पत्र) :-

(क) उपरोक्त खण्ड 4 के उपबंध के अधीन, आवश्यकतानुसार एक राज्य के परिवहन प्राधिकारी द्वारा पारस्परिक करारकर्ता राज्य में विर्निदिष्ट टर्मिनलों को जोड़ने वाले विर्निदिष्ट मार्गों के लिये उस राज्य में प्रतिहस्ताक्षर की अपेक्षा के बिना संविदा वाहन (ओमनी बस) के लिये अस्थाई अनुज्ञा-पत्र जारी किये जा सकेंगे।

(ख) ऐसे अस्थाई अनुज्ञापत्र निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगे:-

1. ऐसे अस्थाई अनुज्ञा-पत्र पारस्परिक करारकर्ता राज्य में 15 दिवस से अनाधिक कालावधि के लिये विधिमान्य होंगे।
2. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट की गई बैठक क्षमता से अधिक यात्रियों को नहीं लेजाया जायेगा, और न ही खड़े रहने वाले यात्रियों को अनुज्ञात किया जायेगा।
3. संविदा वाहन (ओमनी बस) एक ही पक्ष द्वारा किराये पर ली जायेगी, और एक वापसी यात्रा के लिये उपयोग की जायेगी।

(ग) - ऐसे अस्थाई अनुज्ञा-पत्र में बाहर जाने की तारीख तथा वापसी यात्रा की तारीख स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट की जायेगी। यदि किसी अस्थाई अनुज्ञा-पत्र पर संविदा वाहन को लगाने वाला कतिपय पक्ष अनुज्ञा-पत्र मंजूर करने के पश्चात् वापसी यात्रा की तारीख बदलवाना चाहता है, तो वह ऐसे परिवहन प्राधिकारी से जिसकी अधिकारिता में उस समय संविदा वाहन हो इस बावत् लिखित रूप में अनुज्ञा प्राप्त करेगा।

9. विशेष अनुज्ञा-पत्र :-

किसी भी राज्य के परिवहन प्राधिकारियों द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 (8) के अधीन जारी किये जाने वाले विशेष अनुज्ञा-पत्रों की संख्या पर कोई निबंन्धन नहीं होगा। ऐसे अनुज्ञा-पत्र पारस्परिक करारकर्ता राज्य में 30 दिवस से अनधिक कालावधि के लिये विधिमान्य होंगे।

10. लोकसेवा यान मंजिली यात्री बसों (स्टेज कैरिज का संचालन) :-

निम्नलिखित सामान्य सिद्धांतों पर दोनों राज्यों के बीच पारस्परिक करार किया गया-

(क) मंजिली गाड़ी के लिये अंतरप्रांतीय मार्गों का अर्थ होगा, प्रांतों में स्थित सीमांतों को वर्णित मध्य मार्गों से होते हुए जोड़ने वाला न्यूनतम दूरी का मार्ग, जब तक कि किसी मार्ग विशेष के लिये दोनों प्रांत अन्यथा सहमत न हों।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य एवं झारखण्ड राज्य के बीच अंतरप्रांतीय मार्गों पर मंजिली गाड़ी के रूप में यात्री बसों का संचालन परिशिष्ट ''क'' एवं ''ख'' में उल्लेखित मार्गो पर, उल्लेखित फेरों अनुसार तथा उल्लेखित वाहनों से किया जावेगा।

(ग) अविभाजित मध्यप्रदेश एवं बिहार राज्य के समय स्वीकृत/जारी स्थायी परमिट जो छत्तीसगढ़ एवं झारखण्ड राज्य गठन के पश्चात् (छत्तीसगढ़-झारखण्ड एवं बिहार) तीनों राज्यों को जोड़ने वाले मार्ग हो गए है। उन मार्गो पर बिहार और छत्तीसगढ़ राज्यों के बीच समझौता किया जाना है, चुकि उक्त मार्गो का मध्य भाग झारखण्ड में पड़ता है। अतः बिहार एवं छत्तीसगढ़ राज्यों के बीच होने वाले समझौता पर झारखण्ड राज्य सहमति प्रदान करता है, एवं बिहार एवं छत्तीसगढ़ राज्य से निर्गत होने परमिटों पर झारखण्ड राज्य से प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा तथा परमिटधारी द्वारा झारखण्ड राज्य का समस्त मोटरयान कर नियमानुसार देय होगा।

(घ) इस करार के प्रयोजन के लिये कि फेरे से अभिप्रेत होगा एक एकल फेरा।

(ड.) कालांतर में यदि परिशिष्ट ''क'' एवं ''ख'' में उल्लेखित कि.मी. में किसी प्रकार की विसंगति पाई जाती है, तो दोनो राज्य परिवहन प्राधिकारी के बीच तत्परता से पत्र व्यवहार के माध्यम से ठीक किया जायेगा, और इसे पारस्परिक करार के रूपांतर के रूप में नहीं समझा जायेगा।

(च) ऐसी मंजिली यात्री वाहन जो छत्तीसगढ़ राज्य में पंजीकृत है, तथा इस करार के अधीन झारखण्ड राज्य में संचालित है, झारखण्ड़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1994 के अंतर्गत मोटरयान कर का भुगतान करना आवश्यक होगा।

(छ) ऐसी मंजिली यात्री वाहन जो झारखण्ड राज्य में पंजीकृत है, तथा इस करार के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित होती है, छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 के प्रावधान अनुसार मोटरयान कर का भुगतान करना आवश्यक होगा।

(ज) समय-सारणी का निर्धारण अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा, तथा प्रतिहस्ताक्षर स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी अपने राज्य की सीमा के भीतर समय-सारणी में परिवर्तन कर सकेंगे।

(झ) प्रत्येक राज्य में पड़ने वाले मार्ग के भाग के लिये लिया जाने वाला अधिकतम किराया संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किये गयें अनुसार होगा। एक राज्य द्वारा यात्रियों को जारी किये गये टिकिट दूसरे राज्य में विधिमान्य होंगे।

(ञ) दोनो राज्य स्वंय के राज्य में पड़ने वाले भाग में वृद्धि, परिर्वतन अन्य राज्य की पूर्व अनुमति के बिना कर सकेंगे, किन्तु इस प्रकार की वृद्धि/परिर्वतन की सूचना अन्य राज्य को दी जाएगी।

(ट) परिशिष्ट ''क'' एवं ''ख'' में उल्लेखित मार्गो पर जब तक राज्य परिवहन प्राधिकार द्वारा स्थाई परमिट स्वीकृत नहीं किए जाते है तब तक अस्थाई परमिट दोनों राज्यों द्वारा स्वीकृत/प्रतिहस्ताक्षरित किए जाएगें।

(ठ) अंतरप्रातीय परिवहन में यान की रजिस्ट्रीकृत बैठक क्षमता अनुसार ही परिवहन की अनुमति होगी। खड़े यात्रियों को अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ड़) किसी भी राज्य के यात्री वाहन दो या दो से अधिक एकल फेरा करते समय रात्रि विश्राम अपने ही राज्य में करेंगे।

(ढ़) पारस्परिक याता-यात समझौता के तहत चलने वाली प्रक्रम वाहनों की बैठान क्षमता चालक परिचालक को छोड़कर बैठन क्षमता 32 से कम नहीं होगी।

(ण) परिशिष्ट "क" एवं "ख" में उल्लेखित मार्गों के अतिरिक्त यदि किसी अन्य मार्ग पर यात्री बस संचालन की आवश्यकता महसूस होती है, तो ऐसे मार्ग पर अस्थाई परमिट एक दूसरे राज्य पारस्परिक सहमति के आधार पर स्वीकृत किये जा सकेंगे। ऐसे परमिट पारस्परिक करार के बाहर के परमिट कहलायेंगे और इन पर प्रतिहस्ताक्षरित राज्य के कराधान अधिनियम के अनुसार मोटरयान कर देय होगा।

(त) प्रत्येक प्रतिहस्ताक्षरित राज्य अपने-अपने राज्य के अधिसूचित बस स्टैण्ड में सवारी (यात्री) उतारने एवं चढ़ाने की अनुमति देगा।

(थ) यदि मार्ग की दूरी 100 कि.मी. तक है तो किसी भी एक बस को निर्धारित फेरों के हिसाब से चार एकल फेरा एवं 250 कि.मी. तक मार्गो के लिए एक बस को दो एकल फेरा तथा 250 कि.मी. से उपर मार्ग के लिए एक बस को एक एकल फेरा परमिट प्रतिदिन की अनुज्ञा निर्गत किया जा सकेगा।

(द) वर्ष 1979, वर्ष 1988 तथा वर्ष 1996, जिसमें केवल वर्ष 1979, के समझौते को ही अंतिम रूप दिया गया था परन्तु वर्ष 1988 एवं वर्ष 1996 को अंतिम रूप नहीं दिया गया था लेकिन स्थायी परमिट स्वीकृत किये गये है। उसे मान्यता प्रदान करते हुए समझौते के अंतिम रूप होने तक परमिट के नवीनीकरण/प्रतिहस्ताक्षर दोनों राज्य यथावत करते रहेगें।

(ध) यात्रियों की सुरक्षा एवं सुविधा के लिए यदि प्रक्रम वाहन मूल पंजीयन दिनांक से 12 वर्ष से अधिक पुरानी है तो अंतर्राज्यीय मार्गो पर संचालन की अनुमति नहीं जाएगी।

(न) जिन मार्गो की दूरी 250 कि.मी. अथवा उससे अधिक (एक तरफ) है, उन मार्गो पर एक्सप्रेस सेवा संचालन हेतु परमिट जारी किया जा सकता है।

11. <u>कोरीडोर श्रेणी के मार्ग</u> -

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 (1) मे यह उपबंधित है कि कोरीडोर श्रेणी के मार्ग के लिए प्रतिहस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होगी।

यदि किसी राज्य के राज्य परिवहन प्राधिकार द्वारा कोरीडोर श्रेणी के अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत किये जाते हैं तो अनुज्ञा-पत्र में इस बात का स्पष्ट उल्लेख होगा, कि मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 88 (1) के अधीन अनुज्ञा-पत्र पर प्रतिहस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है, किन्तु ऐसे परमिटों पर अन्य राज्य के लिये देय कर का भुगतान नियमानुसार किया जाएगा। कोरीडोर श्रेणी के मार्गों पर स्थाई/अस्थाई परमिट स्वीकृति हेतु पारस्परिक करार की आवश्यकता नहीं होगी।

12. नियम :-
एक राज्य के दूसरे राज्य में चल रहे यान (चलाने की फीस और करों से संबंधित उपबंधों को छोड़कर) अपने संबंधित राज्य के नियमों से शासित होंगे।

13. सामान्य :-
(एक) पारस्परिक करारकर्ता राज्य इस करार के निबंधनों के अनुसरण में चल रहे यान के संबंध में कर, टोकनों, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्रों, परिचालक की अनुज्ञप्तियों, परिवहन यान प्राधिकार, बिल्ला (बैज), उपयुक्तता (फिटनेस) आदि के प्रमाण-पत्र को मान्यता देंगे।
(दो) यान का सकलभार पारस्परिक करारकर्ता राज्यों में अधिकतम् अनुज्ञेय संकलयान भार से अधिक नहीं होगा, और अनुज्ञा-पत्रों पर प्रतिहस्ताक्षर करते समय इस प्रकार की शर्त अधिरोपित की जा सकेगी।
(तीन) दोनो राज्यों द्वारा परमिट स्वीकृत/प्रतिहस्ताक्षर के अंतर्गत वाहनों का उपयोग परमिट की शर्तो के विरूद्ध वाहन का संचालन किया जाता है, तो जिस राज्य के क्षेत्राधिकार में वाहन चेक की जाती हैं, उस राज्य के प्राधिकार उस वाहन के विरूद्ध उसी भांति कार्यवाही कर सकेंगे, जैसे कि वह उनके गृह राज्य की वाहन है।

इसके साक्ष्य स्वरूप इसके पक्षकारों के प्रथम उपर लिखी तारीख को इस करार पर अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

हस्ता./- 08.12.2006
(बी.के.एस.रे)
अपर मुख्य सचिव, गृह; परिवहन
छत्तीसगढ़ शासन
छत्तीसगढ़ राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

हस्ता./- 08.12.2006
(अशोक कुमार सिंह)
प्रधान सचिव
झारखण्ड सरकार
परिवहन विभाग
झारखण्ड राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

साक्षी
हस्ता./-
(अशोक जुनेजा)
विशेष सचिव
सह-अतिरिक्त परिवहन आयुक्त
छत्तीसगढ़-रायपुर

साक्षी
हस्ता./-
(राजीव अरूण एक्का)
परिवहन आयुक्त
झारखण्ड-रांची

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक जुनेजा, विशेष सचिव.

परिशिष्ट "क"

पूर्व में सम्पन्न पारस्परिक समझौतों के मार्ग

क्रमांक	मार्ग का नाम	दूरी कि.मी. में			अनुज्ञा-पत्रों की निर्धारित संख्या		टिप्पणी
		छत्तीसगढ़	झारखण्ड	कुल कि.मी.	छत्तीसगढ़ राज्य के लिए	झारखण्ड राज्य के लिए	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जशपुर-गुमला व्हाया शंख	26	24	50	10	10	
2	जशपुर-रांची व्हाया गुमला, बेड़ों	26	118	144	12	12	
3	अम्बिकापुर-डाल्टेनगंज व्हाया रामानुजगंज	110	82	192	20	20	
4	रांची-पत्थलगांव व्हाया बेड़ों, सिसई, गुमला, जशपुर, कुनकुरी	139	118	257	10	10	
5	रायगढ़-रांची व्हाया घरघोड़ा, धर्मजयगढ़, पत्थलगांव, जशपरु, गुमला, लोहरदगा, कुरू	239	147	386	12	12	
6	रांची-अम्बिकापुर व्हाया कुरू, लातेहार, डाल्टेनगंज, रामानुजगंज	110	246	356	10	10	
7	अम्बिकापुर-गढ़वारोड व्हाया रामानुजगंज	110	46	156	12	03	
8	रामानुजगंज-गढ़वारोड व्हाया भाया गोदरमना	01	46	47	10	10	
9	रांची-बैकुंठपुर, व्हाया कुरू, डालटेनगंज, रामानुजगंज,अम्बिकापुर	188	208	396	10	10	
10	जशपुर-डाल्टेनगंज व्हाया गुमला, कुरू, लातेहार	26	204	230	08	16	
11	बोकारो-अम्बिकापुर व्हाया रामगढ़, रांची	209	275	484	08	16	
12	डाल्टेनगंज-कोरबा व्हाया रामानुजगंज, अम्बिकापुर, उदयपुर, कटघोरा	300	82	382	16	08	
13	रांची-चिरमिरी व्हाया कुरू, डालटेनगंज, अम्बिकापुर, विश्रामपुर	225	246	471	10	10	
14	कुनकुरी-सिमडेगा व्हाया तपकरा, कुरडेग, किनकेल, सेवई	60	102	162	08	16	
15	कुनकुरी-सिमडेगा व्हाया जशपुर,, गुमला, कोलेबिरा	20	80	100	08	16	
16	बोकारो-कोरबा व्हाया गोला, रामगढ़, रांची, बेड़ों, गुमला, पत्थलगांव, खरसिया	336	245	581	10	10	
17	जशपुर-महुआडांड व्हाया गुमला, घाघरा, नेतरहाट	26	85	111	08	16	
18	विश्रामपुर-गढ़वारोड व्हाया अम्बिकापुर, रामानुजगंज	130	46	176	16	08	
19	जशपुर-जैरागी व्हाया शंख, माझाटोली, पतंगटोली, चैनपुर	26	100	126	08	16	
20	बोलवा-जशपुर व्हाया कोलेबिरा, सिमडेगा, गुमला	26	134	160	08	24	
21	धनबाद-अम्बिकापुर व्हाया तोपचांची, बगोदर, शेरघाटी, औरंगाबाद, डालटेनगंज, रामानुजगंज	110	421	531	08	24	
22	धनबाद-जशपुर व्हाया बोकारो, गोला, रामगढ़, रांची, गुमला	26	300	326	08	16	
23	देवघर-जशपुर व्हाया जशीडीह, मधुपुर, गिरीडीह, बगोदर, हजारीबाग, रांची, लोहरदगा, गुमला	26	442	468	10	10	
24	टाटानगर-जशपुर व्हाया चांडिल, रांची, लोहरदगा, गुमला	26	280	306	08	16	
25	गुमला-बगीचा व्हाया जशपुर, कुनकुरी	126	24	150	10	10	

26	गुमला-बिलासपुर व्हाया जशपुर, पत्थलगांव, धर्मजयगढ़, खरसिया, जांजगीर	380	24	404	10	10	
27	गुमला-शक्ति व्हाया जशपुर, पत्थलगांव, खरसिया	225	24	249	10	10	
28	गमुला-कोरबा व्हाया जशपुर, कुनकुरी, पत्थलगांव, खरसिया, शक्ति, चांपा	344	24	368	10	10	
29	लोहरदगा-अम्बिकापुर व्हाया कुरू, डालटेनगंज, गढ़वा, रामानुजगंज	110	207	317	10	10	
30	लोहरदगा-बिलासपुर व्हाया गुमला, पत्थलगांव	380	76	456	10	10	
31	चाईबासा-अम्बिकापुर व्हाया चक्रधरपुर, खूंटी, रांची, कुरू, डाल्टेनगंज, रामानुजगंज	110	380	490	10	10	
32	सरायकेला-जशपुर व्हाया टाटानगर, चाण्डिल, रांची, बेड़ो, गुमला	26	290	316	08	16	
33	टाटानगर-अम्बिकापुर व्हाया चांडिल, रांची, कुरू, डालटेनगंज, रामानुजगंज	110	370	480	08	16	
	कुल योग-	4332	5496	9828	334	430	

परिशिष्ट "ख"

नवीन मार्ग

क्रमांक	मार्ग का नाम	दूरी कि.मी. में			अनुज्ञा-पत्रों की निर्धारित संख्या		टिप्पणी
		छत्तीसगढ़	झारखण्ड	कुल कि.मी.	छत्तीसगढ़ राज्य के लिए	झारखण्ड राज्य के लिए	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	रांची-रायपुर व्हाया बेड़ो, गुमला, जशपुर, धर्मजयगढ़, रायगढ़, सारंगढ़, सरायपाली	452	118	570	10	10	
2	खेलारी-अम्बिकापुर व्हाया बीजुपाड़ा, कुरू, चंदवा, डालटेनगंज, गढ़वा, रामानुजगंज	110	230	340	10	10	
3	खेलारी-अम्बिकापुर व्हाया कुरू, लोहरदगा, गुमला, जशपुर, पत्थलगांव, सीतापुर	221	130	351	10	10	
4	सिमडेगा-पत्थलगांव व्हाया कोलेबिरा, गुमला, जशपुर	136	102	238	10	10	
5	रांची-बिलासपुर व्हाया बेड़ो, गुमला, जशपरु, पत्थलगांव, धर्मजयगढ़, खरसिया, शक्ति, चांपा	400	118	518	10	10	
6	रांची-कोरबा व्हाया बेड़ो, गुमला, जशपुर, पत्थलगांव, खरसिया, शक्ति	350	118	468	10	10	
7	रांची-कुनकुरी व्हाया बेड़ो, सिसई, गुमला, जशपुर,	70	118	188	10	10	
8	सिमडेगा-रायगढ़ व्हाया गुमला, जशपुर, पत्थलगांव	236	118	354	10	10	
9	रांची-बिलासपुर व्हाया डाल्टेनगंज, गढ़वा, रामानुजगंज, अम्बिकापुर	340	385	725	10	10	
10	चिरमिरि-रांची व्हाया बैकुंठपुर, अम्बिकापुर, कुनकुरी, जशपुर, गुमला	340	118	458	10	10	
11	चतरा-कुनकुरी व्हाया चंदवा, कुरू, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा,	66	250	316	10	10	
12	नेतरहाट-अम्बिकापुरव्हाया डालटेनगंज, गढ़वा, रामानुजगंज	110	200	310	10	10	
13	रजरप्पा-जशपुर व्हाया रायगढ़, रांची, बेड़ो, गुमला	26	185	211	10	10	

14	भवनाथपुर-अम्बिकापुर व्हाया गढ़वा, रामानुजगंज	110	100	210	10	10	
15	रांची-अम्बिकापुर व्हाया बेड़ो, गुमला, जशपुर, बगीचा,	219	118	337	10	10	
16	मनेन्द्रगढ़-डाल्टेनगंज व्हाया बैकुंठपुर, रामानुजगंज, गढ़वारोड़ स्टेशन	240	82	322	16	16	
17	रायगढ़-डाल्टेनगंज व्हाया धर्मजयगढ़, पत्थलगांव, अंबिकापुर, रामानुजगंज, गढ़वा	305	82	387	16	16	
18	रायगढ़-कांडी व्हाया पत्थलगांव, अंबिकापुर, रामानुजगंज, गढ़वारोड़ स्टेशन, मझियार	305	88	393	16	16	
19	रामानुजगंज-डाल्टेनगंज व्हाया गोदरमना, रंका, गढ़वारोड़ स्टेशन	01	82	83	08	16	
20	सीपत-डाल्टेनगंज व्हाया बिलासपुर, कटघोरा, अंबिकापुर, रामानुजगंज, गोदरमना, रंका, गढ़वारोड स्टेशन	360	82	442	10	10	
21	सीपत-डाल्टेनगंज व्हाया बलोदा, हरदीबाजार, कटघोरा, अंबिकापुर, रामानुजगंज, रंका, गढ़वारोड स्टेशन	344	82	426	10	10	
22	भवनाथपुर-रायपुर व्हाया नगरखार, गढ़वा, रामानुजगंज, अंबिकापुर, कटघोरा, बिलासपुर, नांदघाट, सिमगा	460	110	570	10	10	
23	डाल्टेनगंज-जशपुर नगर व्हाया महुआटांड, नेतरहाट, गुमला	26	175	201	10	10	
24	खूंटी-जशपुर नगर व्हाया रॉंची, गुमला, शंख	26	154	180	10	10	
25	रामगढ़-जशपुरनगर व्हाया रॉंची, बेरो, गुमला	26	165	191	10	10	
26	धनबाद-जशपुरनगर व्हाया बोकारो, रामगढ़, रॉंची, लोहरदगा, गुमला	26	325	351	10	10	
27	लवाकेरा-रॉंची व्हाया कुरडेंग, सिमडेगा, तोरपा, खूंटी	29	217	246	10	10	
28	रॉंची-रायगढ़ व्हाया लोहरदगा, गुमला, जशपुरनगर, कुनकुरी, तपकरा	249	118	367	10	10	
29	रॉंची-अंबिकापुर-व्हाया लोहरदगा, घाघरा, नेतरहाट, महुआटांड, कुसमी, अंबिकापुर	115	128	243	10	10	
30	गुमला-कुसमी व्हाया चैनपुर, डुमरी, गोविन्दपुर, जशपुरनगर, मनोरा	73	24	97	10	10	
31	सिमडेगा-जशपुर नगर व्हाया कुरडेग, तपकरा, कुनकुरी	82	70	152	10	10	
32	रॉंची-कुसमी व्हाया सिसई, गुमला, डुमरी, महुआटांड	60	128	188	10	10	
33	गुमला-जशपुर नगर व्हाया चैनपुर, बिखमपुर, गोविन्दपुर	29	24	53	10	10	
34	गुमला-लवाकेरा व्हाया शंख, लोदाम, जशपुर नगर, कुनकुरी, तपकरा	118	24	142	10	10	
35	लोहरदगा-अंबिकापुर व्हाया गुमला, जशपुर नगर, पत्थलगांव, सीतापुर	216	48	264	10	10	
36	गुमला- अंबिकापुर व्हाया जशपुर नगर, कुसमी	142	24	166	10	10	
37	डाल्टेनगंज-अंबिकापुर व्हाया गढ़वा, गोदरमन्ना	110	82	192	10	10	
38	गुमला-पत्थलगांव व्हाया जशपुर नगर, कुनकुरी, कांसाबेल	136	24	160	10	10	
39	रायपुर-डाल्टेनगंज व्हाया सिमगा, नांदघाट, बिलासपुर, कटघोरा, अंबिकापुर, रामानुजगंज, गढ़वा, पलामू	455	82	537	10	10	

कृषि (मछली पालन) विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 मई 2004

क्रमांक 276/एफ/13-2/36/पुरस्कार/04.—श्रीमती बिलासा बाई केवटिन मत्स्य विकास पुरस्कार के संबंध में जारी विभागीय आदेश क्रमांक 2425/1665/36/पुरस्कार/2003, दिनांक 10-9-2003 में निम्नानुसार संशोधन प्रतिस्थापित किए जाते हैं :—

1. चयन की पात्रता हेतु निर्धारित 11 बिन्दुओं के स्थान पर निम्नानुसार चयन पात्रता एवं अंक निर्धारित किए जाते हैं.

1.	मत्स्य बीज उत्पादन एवं संवर्धन	-	25 अंक
2.	मत्स्योत्पादन (न्यूनतम 3000 किग्रा/हे.)	-	25 अंक
3.	समन्वित मछली पालन	-	25 अंक
4.	मत्स्य हेतु अतिरिक्त जलक्षेत्र का विकास	-	10 अंक
5.	विलुप्त होने वाले मछलियों के प्रजातियों का संरक्षण	-	10 अंक
6.	मछलियों के बिमारियों की रोकथाम हेतु की गई अनुसंधान कार्य	-	05 अंक

2. चयन हेतु निजी मत्स्य पालन/मत्स्य कृषक/सहकारी संस्थायें/अशासकीय संगठन के अतिरिक्त शासकीय अधिकारी/कर्मचारी जो असाधारण रूप से उत्कृष्ट प्रगति प्रदर्शित करते हों उन्हें भी इस पुरस्कार हेतु शामिल किया जा सकेगा.

3. पुरस्कार किसी एक व्यक्ति/सहकारी संस्था/अर्धशासकीय संगठन/शासकीय अधिकारी/कर्मचारी को अधिकतम दो बार तक ही पुरस्कार प्रदान किया जा सकेगा तथापि लगातार दो बार तक ही पुरस्कार प्रदान किया जा सकेगा तथापि लगातार दो वर्षों तक उक्त पुरस्कार दिये जाने का प्रावधान नहीं होगा.

शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. के. दवे, अवर सचिव.

सहकारिता विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 जुलाई 2007

क्रमांक एफ 15-13/15-2/2006.—राज्य शासन द्वारा ठाकुर प्यारेलाल सिंह पुरस्कार नियम क्रमांक सह./2004/2388, दिनांक 21-9-2004 एवं यथा संशोधित आदेश क्रमांक 2639 दिनांक 14-10-2004 द्वारा जारी नियम की कंडिका 3 एवं 5 के उप नियम 04 में वर्तमान प्रावधान के स्थान पर निम्नानुसार संशोधित प्रावधान प्रतिस्थापित करता है :—

(3) **पुरस्कार का स्वरूप :**— सहकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले एक व्यक्ति या एक संस्था को "ठाकुर प्यारेलाल सिंह पुरस्कार" राशि रु. 2,00,000.00 (दो लाख रुपये मात्र) का नगद पुरस्कार, तथा प्रतीक चिन्ह से युक्त वाहिका, प्रशस्ति के रूप में दी जाएगी. पुरस्कार क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले एक व्यक्ति या एक संस्था की प्रत्येक वर्ष राज्य शासन द्वारा नियुक्त निर्णायक मण्डल (जूरी) द्वारा चयन होने पर दिया जाएगा.

(5) **निर्णायक मण्डल की शक्तियां :**—

04. प्रत्येक वर्ष पुरस्कार के लिए एक व्यक्ति या एक संस्था का चयन होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नारायण सिंह, सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 जुलाई 2007

क्रमांक-1328/2559/32/06.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 (क) की उप धारा (2) के अंतर्गत सूचना क्रमांक-809/2559/32/2006, दिनांक 04-05-2007 द्वारा कोरबा विकास योजना में निम्नानुसार उपांतरण प्रस्तावित किया गया है, जिसकी सूचना दो समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी.

कोरबा विकास योजना के उपांतरण प्रस्ताव

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	रकबा	विकास योजना अंगीकृत में भू-उपयोग का विवरण	अधिनियम की धारा 23 "क" के तहत उपांतरण के प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	खरमोरा (मराहति) प. ह. नं.-5	297 में से	3.50 एकड़	औद्योगिक	आवासीय

सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं. अतः राज्य शासन एतद्द्वारा कोरबा विकास योजना में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है तथा सूचित करता है कि यह उपांतरण कोरबा विकास योजना का अंगीकृत भाग होगा.

रायपुर, दिनांक 24 जुलाई 2007

क्रमांक-1331/707/32/07.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 (क) की उप धारा (2) के अंतर्गत सूचना क्रमांक-773/707/32/2007, दिनांक 27-04-2007 द्वारा कोरबा विकास योजना में निम्नानुसार उपांतरण प्रस्तावित किया गया है, जिसकी सूचना दो समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी.

कोरबा विकास योजना के उपांतरण प्रस्ताव

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	रकबा	विकास योजना अंगीकृत में भू-उपयोग का विवरण	अधिनियम की धारा 23 "क" के तहत उपांतरण के प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	झगरहा	76/3 का भाग	92.00 एकड़ में से 49.17 एकड़	आरक्षित वन	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक (शैक्षणिक)

सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं. अतः राज्य शासन एतद्द्वारा कोरबा विकास योजना में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है तथा सूचित करता है कि यह उपांतरण कोरबा विकास योजना का अंगीकृत भाग होगा.

रायपुर, दिनांक 24 जुलाई 2007

क्रमांक-1334/2406/32/06.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 (क) की उप धारा (2) के अंतर्गत सूचना क्रमांक-164/2406/32/2006, दिनांक 01-02-2007 द्वारा रायपुर विकास योजना में निम्नानुसार उपांतरण प्रस्तावित किया गया है, जिसकी सूचना दो समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी.

रायपुर विकास योजना के उपांतरण प्रस्ताव

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	रकबा	विकास योजना अंगीकृत में भू-उपयोग का विवरण	अधिनियम की धारा 23 "क" के तहत उपांतरण के प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	रायपुरखास	133 का भाग	7.76 एकड़ (जल भराव क्षेत्र को छोड़कर)	जलाशय (कारी तालाब)	आवासीय एवं वाणिज्यिक (भू-तल पर 9.0 मी. गहराई तक मार्ग के किनारे वाणिज्यिक)

सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं.. अतः राज्य शासन एतद्द्वारा रायपुर विकास योजना में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है तथा सूचित करता है कि यह उपांतरण रायपुर विकास योजना का अंगीकृत भाग होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. बजाज, विशेष सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 6 अक्टूबर 2006

क्रमांक 181/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	नंदेली प.ह.नं. 6	0.266	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक 5, खरसिया.	सक्ती उप-शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 6 अक्टूबर 2006

क्रमांक 182/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	बरपालीकलॉ प.ह.नं. 2	0.918	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 5, खरसिया.	बरपाली माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव बांगो परियोजना सक्ती, जिला जांजगीर-चांपा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 7 अप्रैल 2007

क्रमांक क/भू-अर्जन/215.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिएं प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मालखरौदा प.ह.नं. 5	0.283	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 4, डभरा.	मालखरौदा सब माइनर.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

जशपुर, दिनांक 17 जुलाई 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्र./09/अ-82/06-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	पीठाआमा प.ह.नं. 18	4.531	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन, धरमजयगढ़.	पीठाआमा जलाशय योजना का मुख्य नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व/भू-अर्जन अधिकारी, पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 17 जुलाई 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्र./10/अ-82/06-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	जामझोर प.ह.नं. 20	3.400	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन धरमजयगढ़.	गेरा नाला जलाशय योजना का एल. बी. सी. मुख्य नहर.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व/भू-अर्जन अधिकारी, पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 17 जुलाई 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्र./11/अ-82/06-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	चौराआमा प.ह.नं. 4	18.237	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन धरमजयगढ़.	घरजियाबथान जलाशय योजना डूबान क्षेत्र.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व/भू-अर्जन अधिकारी, पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 17 जुलाई 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्र./12/अ-82/06-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	सूरजगढ़ प.ह.नं. 12	82.361	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन धरमजयगढ़.	घरजियाबथान जलाशय योजना डूबान क्षेत्र.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व/भू-अर्जन अधिकारी, पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 17 जुलाई 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्र./13/अ-82/06-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	तिरसोंठ प.ह.नं. 12	27.167	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन धरमजयगढ़.	घरजियाबथान जलाशय योजना डूबान क्षेत्र.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व/भू-अर्जन अधिकारी, पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 17 जुलाई 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्र./14/अ-82/06-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	घरजियाबथान प.ह.नं. 4	19.338	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन धरमजयगढ़.	घरजियाबथान जलाशय योजना डूबान क्षेत्र.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व/भू-अर्जन अधिकारी, पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 4 जून 2007

प्र. क्र. 7/अ/82 वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	कसडोल	सेमरा प. ह. नं. 17	5.01	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	जोंक व्यपवर्तन परियोजना.

रायपुर, दिनांक 7 जुलाई 2007

प्र. क्र. 06/अ/82 वर्ष 2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	बिलाईगढ़	कारीपाट प. ह. नं. 08	0.442	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	अर्जुनी व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत नहर निर्माण.

रायपुर, दिनांक 9 जुलाई 2007

प्र. क्र. 29/अ/82 वर्ष 2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	कसडोल	सोनाखान प. ह. नं. 22	4.049	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	मखुरहा जलाशय निर्माण कार्य.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 10 जुलाई 2007

क्रमांक/5714/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	भेंडरवानी प. ह. नं. 15	13.25	कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	भरदा जलाशय के डुबान क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 5 अप्रैल 2007

क्रमांक/3176/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	करतला	जोगीपाली	3.65	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग कोरबा, संभाग कोरबा.	रामपुर - जोगीपाली - मदवानी मार्ग हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी राजस्व, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दंतेवाड़ा, दिनांक 28 जुलाई 2007

क्रमांक/3952/भू-अर्जन/प्र.क्र.1/अ-82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा
- (ख) तहसील-दंतेवाड़ा
- (ग) नगर/ग्राम-फरसपाल, प. ह. नं. 7
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-11.61 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
239	0.51
237	0.50
245	0.25
246	0.62
286	0.15
290	0.04
293/5	0.06
293/4	0.43
315	1.17
308	0.18
310	0.44
311	1.15
244	0.24
242	1.60
288	0.23
287	0.07
289	0.35

(1)	(2)
291	0.08
293/3	0.17
299	0.12
306	0.02
309	1.66
307	0.07
313	0.49
312	1.01
योग	11.61

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-फरसपाल तालाब के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, दंतेवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दंतेवाड़ा, दिनांक 28 जुलाई 2007

क्रमांक/3956/भू-अर्जन/प्र.क्र.1/अ-82/2006-2007.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा
- (ख) तहसील-दंतेवाड़ा
- (ग) नगर/ग्राम-पाढापुर, प. ह. नं. 18
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-48.49 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
11	1.40
22	0.56
101	5.34
107	2.14
24	0.32
26	0.22
31	1.07
29	1.67
96/1	0.84
98	1.73
33	0.13
35	0.48
90	0.19
94	0.39
106	0.70
108	0.97
25	1.99
105	1.55
110	1.32
96/2	0.75
28	0.13
38	0.20
32	0.17
96/3	0.10
127	2.98
39	0.80
91	1.42
92	15.04
99	1.55
109	1.24
130	0.60
योग	48.49

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-पाढापुर टेलिंग डेम के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) भू-अर्जन अधिकारी, दंतेवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. पिस्दा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 6 जुलाई 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 17 /अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-सारंगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-नाचनपाली, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.218 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2/1	0.053
2/4	0.040
3/4/ग	0.045
5/2	0.053
6/1	0.016
48/3	0.010
6/5	0.016
8/4	0.024
47/1	0.016
47/3	0.012
2/2	0.053
3/4/क	0.069
5/1	0.049
5/3	0.042
5/4	0.085
6/3	0.044
6/6	0.049
8/5	0.061
47/2	0.016
49	0.008
2/3	0.053
2/4/ख	0.069
18/3	0.044
18/1	0.026
6/2	0.049
6/4	0.016
7/1 क	0.057
46	0.036
47/4	0.012
योग 29	1.218

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लीलार व्यपवर्तन योजना अंतर्गत शीर्ष कार्य हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सारंगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 6 जुलाई 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 18 /अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-सारंगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-प्रधानपुर, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.715 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
192/2	0.097
200/1 क	0.016
192/2 ग	0.032

(1)	(2)
198	0.065
193/2	0.012
204/4	0.027
200/1	0.016
194/4	0.081
207	0.020
199/5	0.049
208/1 ग	0.105
197/1	0.008
204/3	0.032
197/3	0.020
206/1	0.005
206/4	0.016
218/1	0.045
167/4	0.008
192/4 ख	0.049
200/1 ङ	0.016
402/2	0.027
199/2	0.068
196/5	0.009
203/1	0.032
201	1.627
194/6	0.112
208/2 क	1.672
195/3	0.008
203/3	0.032
197/2	0.024
105/2	0.032
206/2	0.027
206/5	0.018
219/1	0.057
192/4 क	0.017
197/5	0.012
196/1	0.039
169/1-199/3	0.121
193/2-196/3	0.012
194/3	0.001
200/1 झ	0.026
216/2	0.017
208/1	0.065
194/4	0.056
203/2	0.016
202	0.125
205/1	0.028
200/1	0.016
206/3	0.005
206/6	0.008
218/2	0.089
योग 50	1.715

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लीलार व्यपवर्तन योजना अंतर्गत शीर्ष कार्य हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सारंगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 6 जुलाई 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 19 /अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-सारंगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-लेन्ध्रा, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.159 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
877	0.028
881/1	0.020
880/4	0.020
881/2	0.020
882	0.065
886/1	0.150
887/2	0.069
895/1	0.036
895/3 क	0.002
896/1	0.053

(1)	(2)
897/2	0.069
898/1 ख	0.069
885	0.708
878	0.069
880/2	0.020
880/5	0.008
883/3	0.020
884/2	0.137
886/2	0.284
887/4	0.069
895/2 क	0.036
895/3 ख	0.010
896/2	0.040
897/3	0.069
898/2 क	0.069
879	0.069
880/3	0.004
881/1	0.020
883/4	0.016
884/3	0.137
887/1	0.137
887/3	0.069
895/2 ख	0.036
895/3 ग	0.010
897/1	0.073
898/1	0.069
898/2 ख	0.069
योग 37	2.159

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लीलार व्यपवर्तन योजना अंतर्गत शीर्ष कार्य हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सारंगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामसिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 जुलाई 2007

क्रमांक 65.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-सरहर, प. ह. नं. 16
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.888 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
848/1	0.028
850/6	0.012
850/4	0.012
850/1	0.049
850/3	0.065
851/1	0.036
849/1	0.057
849/5	0.073
849/3	0.032
849/2	0.032
994/1	0.032
994/2	0.032
994/3	0.032
993	0.049
991/1	0.040
992/2	0.008
991/2	0.093
971/7	0.004
969/2, 969/3, 969/4	0.109
971/3	0.024

(1)	(2)
970/9	0.016
970/11	0.053
योग 22	0.888

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सरहर सब माइनर नं. 3 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण. भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 24 जुलाई 2007

क्रमांक 05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जांजगीर
- (ग) नगर/ग्राम-परसाहीनाला, प. ह. नं. 3
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-49.914 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
4	0.101
35	0.271
58/1	0.384
24	0.231
27	0.283
30	0.162
28	0.279
340	0.004
29	0.073
32	0.024
90	0.162
91	0.081
96	0.178
314	0.032
31	0.105
315	0.040
33	0.825
34/1	0.324
75	0.040
34/2	0.263
103	0.348
114/4	0.352
181	0.709
26	0.150
36	0.198
46/2	0.567
64/1	0.178
64/3	0.158
37	0.182
38	0.186
39	0.543
40	0.134
165	0.113
308	0.036
41	0.028
42/1	0.121
43	0.040
92	0.012
44	0.158
52	0.162
46/1	0.259
46/3	0.235
63/1	0.283
64/2	0.162
42/2	0.121
44	0.219
176	0.235
53/1	0.243
160	0.162
161/2	0.283
329/2	0.032
425	0.040
53/2	0.008
102	0.012
103/1	0.016
106/1	0.251
53/3	0.008

(1)	(2)	(1)	(2)
103/2	0.028	50/1	0.105
106/2	0.210	50/2	0.040
107	0.036	51	0.162
53/4	0.020	53	0.563
103/3	0.053	55	0.829
54	0.198	94	0.121
58/2	0.150	130/2	0.077
58/3	0.166	201	0.073
313	0.162	60	0.186
98/1, 99/1, 100/1	0.202	62	0.162
115/2	0.150	65/1	0.121
120	0.101	65/2	0.190
171/4	0.028	65/3	0.154
199/2	0.105	66	0.721
199/3	0.101	68	0.146
342/3	0.259	112	0.279
423	0.097	170	0.166
424/3	0.012	172	0.117
424/4	0.012	175	0.077
98/2, 99/2, 100/2	0.202	303	0.806
115/1	0.150	318	0.081
171/3	0.028	321	0.081
342/2	0.259	322	0.109
304	0.146	324	0.028
306	0.150	325	0.008
98/3, 99/3, 100/3	0.396	338/1	0.077
98/4, 99/4, 100/4	0.332	427	0.036
109	0.045	67/1	0.150
110	0.020	67/2	0.150
108	0.336	127/1	0.182
424/2	0.020	127/2	0.182
199/1	0.170	70	0.295
101	0.405	99	0.045
161/3	0.421	71/1	0.077
162	0.049	71/2	0.[illegible]94
104	0.049	72/1	0.299
105	0.295	72/2	0.295
63/2	0.304	74	0.206
631	0.356	97/2	0.121
106/3	0.498	119	0.433
31	0.162	122	0.397
49	0.198	184	0.615
98	0.113	334/2	0.028
54	0.089	58/4	0.150
44	0.057	92	0.470
48	0.129	95	0.142

(1)	(2)
102/1	0.158
319/4	0.004
326/2	0.024
336/1	0.032
97/1	0.170
182	0.364
100	0.417
196/1	0.433
101	0.392
104	0.295
338/3	0.053
102/2	0.340
105/1	0.328
105/2	0.012
116	0.073
171/1	0.061
199/4	0.352
424/1	0.024
342/1	0.522
105/3	0.061
113	0.239
117/1	0.081
14	0.170
106	0.247
107	0.202
111	0.190
117/2	0.194
109	0.182
326/6	0.016
110	0.275
166/3	0.053
326/7	0.016
337	0.069
114/1	0.085
166/2	0.057
114/2	0.174
114/3	0.194
114/5	0.085
114/6	0.061
121	0.251
183	0.417
185	1.408
333/1	0.057
335/1	0.028
331	0.032
333/2	0.057

(1)	(2)
335/2	0.028
123	0.384
130/3	0.162
124	0.384
125	0.129
126	0.129
128	0.202
129/1	0.170
310/2	0.202
326/4	0.024
129/2	0.202
130/1	0.486
155	0.121
166/1	0.109
169	0.081
174	0.138
177	0.247
178/1	0.320
178/2	0.486
180	0.089
179	0.462
191	0.194
195	0.494
196	0.425
197	0.356
198/2	0.364
203/2	0.299
319/5	0.008
326/9	0.024
336/2	0.028
200	0.263
202	0.235
282	0.316
302	0.304
305	0.162
339, 341	0.283
422.	0.210
307/1	0.032
309/2	0.291
307/2	0.032
309/3	0.291
327/2	0.045
310/1	0.032
311/1	0.085
311/2	0.518
319/1	0.016

	(1)	(2)
	326/3	0.016
	311/3	0.607
	312	0.117
	320/1	0.012
	320/3	0.008
	309/1	0.243
	320/2	0.012
	323	0.012
	326/5	0.012
	319/2	0.012
	327/1	0.093
	328/1	0.093
	328/2	0.057
	330	0.028
	332	0.089
	334/1	0.028
	343/1	0.405
	426	0.036
	429	0.134
	430	0.186
	326/8	0.016
	173	0.154
	309/4	0.243
	338/2	0.057
	329/2	0.032
	421/1	0.101
	421/2	0.073
योग	268	49.914

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कर्रानाला जलाशय निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 24 जुलाई 2007

क्रमांक 06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जांजगीर
- (ग) नगर/ग्राम-कोठमीसोनार, प. ह. नं. 4
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.372 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1404/1	0.028
	2675/1	0.405
	2675/4	0.182
	2675/2	0.405
	2675/3	0.069
	2675/5	0.283
योग	6	1.372

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कर्रानाला जलाशय निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 24 जुलाई 2007

क्रमांक 07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जांजगीर
- (ग) नगर/ग्राम-कल्याणपुर, प. ह. नं. 3
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.392 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
4/4	0.061
11	0.210
12	0.210
22/2	0.109
51	0.162
82	0.032
93	0.045
94	0.053
108	0.045
173/1	0.235
175	0.121
177	0.109
योग 12	1.392

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कर्रानाला जलाशय निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 24 जुलाई 2007

क्रमांक 08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जांजगीर
- (ग) नगर/ग्राम-पोड़ीदल्हा, प. ह. नं. 3
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-32.373 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
420/2	0.166
425	0.279
426	0.239
474	0.506
540/2	0.247
434/2	0.202
436/1	0.081
440	0.069
438	0.299
472	0.219
449	0.113
457/9	0.178
479/2	0.113
479/6	0.486
486/1	0.425
520/1	0.032
523/4	0.069
528/2	0.979
776/9	0.049
1369/2, 1370/2	0.065
532/2	0.101
533	0.154
443/7	0.040
532/4	0.012
686/2	0.174
534/2	0.101
535/1	0.405
777/8	0.028
537/2	0.388
537/3	0.809
537/9	0.158
539/3	0.016
539/1	0.539
539/5	0.150
709/3	0.129
575/2	0.405
679/1	0.162
581/4	0.069
679/2	0.166
577/1	0.065
577/3	0.555
577/5	0.223
575/5	0.081
577/6	0.429
578/1	0.943
685	0.166
578/4	0.368

(1)	(2)	(1)	(2)
579	0.259	697/6	0.008
581/1	0.579	698/1	0.012
581/2	0.162	698/2	0.012
581/3	0.162	702	0.182
684/1	0.279	767	0.061
673	0.454	715/6	0.073
674	0.243	716/1	0.024
680/1	0.178	716/11	0.506
680/2	0.182	763/4	0.008
709/2	0.134	743/1	0.109
682	0.186	744/1	0.182
716/16	0.594	763/2	0.008
716/20	0.049	769/7	0.028
823/3	0.178	770/1	0.028
697/2	0.008	770/5	0.028
675/2	0.182	771/1	0.032
675/3	0.182	771/2	0.032
676/5	0.182	773/1	0.396
709/1	0.263	773/2	0.396
676/1	0.097	776/6	0.053
676/3	0.263	776/10	0.024
676/4	0.409	776/18	0.024
677	0.166	776/19	0.024
678/1	0.518	776/20	0.024
678/2	0.255	755	0.134
683	0.445	777/10	0.020
684/2	0.279	769/4	0.024
688/3	0.466	769/8	0.028
688/4	0.097	770/4	0.020
707	0.202	776/21	0.024
708	0.648	780/2	0.129
712	0.243	782	0.158
714	0.194	783/1	0.093
688/5	0.243	769/3	0.024
690	0.174	769/5	0.028
713/1	0.138	769/6	0.028
713/2	0.886	770/2	0.028
691	0.259	770/3	0.020
692	0.045	771/3	0.032
693	0.040	771/4	0.032
695	0.166	771/5	0.024
697/1	0.004	774/2	0.008
780/5	0.020	716/8	0.506
97/3	0.004	762/1	0.283
[illegible]	0.008	762/2	0.534
[illegible]	0.008	771/6	0.020

(1)	(2)
766	0.186
763/3	0.036
768	0.121
769/1	0.045
769/2	0.020
578/2	0.304
578/5	0.308
774/5	0.012
774/7	0.012
774/8	0.012
776/1	0.049
776/2	0.016
774/3	0.012
776/3	0.024
776/4	0.024
776/5	0.024
776/7	0.049
776/17	0.008
776/8	0.008
776/11	0.012
776/13	0.012
776/14	0.049
776/15	0.012
776/16	0.024
776/12	0.024
776/22	0.024
776/28	0.016
776/23	0.012
776/24	0.012
776/25	0.012
776/27	0.020
823/15	0.178
776/29	0.016
776/30	0.012
776/31	0.012
776/32	0.028
777/2	0.028
777/3	0.024
776/26	0.012
777/6	0.008
777/7	0.040
777/13	0.012
777/15	0.004
778/4	0.012
780/1	0.053
777/11	0.008
780/3	0.020
780/4	0.020
780/7	0.020
780/8	0.057
780/9	0.053
784/1	0.061
784/2	0.057
786	0.668
774/6	0.012
537/11	0.384
776/33	0.008
778/1	0.004
537/10	0.384
776/34	0.008
774/4	0.012
777/12	0.008
777/4	0.008
778/2	0.004
777/5	0.024
777/1	0.020
539/2	0.700
535/2	0.121
578/3	0.348
681/1	0.154
681/2	0.304
777/9	0.024
774/9	0.036
777/14	0.008
778/3	0.004
780/6	0.020
777/16	0.020
योग 216	32.373

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कर्रानाला जलाशय निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, ज़िला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 28 मई 2007

क्रमांक/4125/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुईखदान
- (ग) नगर/ग्राम-औंडिया, प. ह. नं. 28
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-18.230 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
217/1	0.176
218/2	0.279
217/3	0.527
217/4	0.527
219	0.405
220	0.729
221/1	0.081
222	0.097
231/1	0.095
231/2	0.040
231/3	0.040
231/4	0.040
231/5	0.040
346/6	0.020
346/9	0.140
263	0.040
249/1	0.113
255/2	0.202
346/4	0.182
346/1	0.800
[illegible]	0.061
[illegible]	0.101
317/4	0.105
317/6	0.142
317/5	0.121
346/3	0.121
272	0.721
273/2	0.320
255/1	0.162
259/3	0.040
277	0.200
269	0.251
274	0.640
261	0.081
265/1	0.133
261/2	0.081
265/2	0.134
218/1	0.276
271	0.722
267	0.560
257	0.364
266/1	0.356
258	0.081
264	0.174
250/1	0.336
259	0.113
256/2	0.283
260	0.040
262	0.192
266/2	0.101
266/3	0.077
250/2	0.142
278/8	0.101
252/2	0.053
253/6	0.142
273/1	0.320
249/3	0.327
253/3	0.190
249/2	0.113
253/4	0.190
230	0.069
251	0.028
252	0.219
253/1	0.053
253/5	0.142
270	0.251
278/5	0.101
232/1	0.121
232/2	0.162

(1)	(2)
228	0.069
229	0.069
346/10	0.100
216	0.160
233	1.39
248	0.29
346/5	0.051
346/8	0.150
317/3	0.121
276/1	0.058
275	0.150
276/2	0.057
244/4	0.125
244/6	0.142
244/5	0.162
244/7	0.365
244/9	0.100
244/8	0.200
221/2	0.085
योग 88	18.230

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- ओडिया जलाशय के डुबान में.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 10 जुलाई 2007

क्रमांक/5703/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-कुमरदा, प. ह. नं. 61
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.208 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
150	0.069
153/4	0.040
112/2	0.020
112/3	0.020
127/1	0.020
128/2	0.020
175/1	0.081
401/2	0.049
400/1	0.141
401/3	0.081
536	0.113
418/14	0.162
548	0.016
553/2	0.089
550/3	0.041
550/4	0.040
110	0.105
425/1	0.101
योग 18	1.208

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंगरा बॅराज परियोजना के कुमरदा लघु नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, जिला कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 10 जुलाई 2007

क्रमांक/5704/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-खुर्सीटिकुल, प. ह. नं. 64
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.016 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
8/1	0.324
13/1	0.282
103/3	0.041
174/4	0.041
160/1	0.081
202/2	0.049
15/3	0.036
90/3	0.065
80/1	0.016
97/3	0.081
योग 10	1.016

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंगरा बॅराज परियोजना के खुर्सीटिकुल लघु नहर निर्माण हेतु. (अनुपूरक)

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, जिला कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 10 जुलाई 2007

क्रमांक/5705/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-कन्हारपुरी, प. ह. नं. 64
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.162 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
112/1	0.081
159/3	0.081
योग 2	0.162

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंगरा बॅराज परियोजना के कन्हारपुरी लघु नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, जिला कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 20 जुलाई 2007

क्रमांक 1434/अ-82/ले. पा./भू-अर्जन/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बालोद
- (ग) नगर/ग्राम-अवारी, प. ह. नं. 32
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.56 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
231	0.41
232	0.05
269/1	0.17
269/2	0.17
269/3	0.24

(1)	(2)
271/2	0.02
291/1	0.02
291/2	0.03
291/4	0.03
291/6	0.03
291/5	0.02
285	0.15
324/1	0.03
281	0.13
326	0.07
327	0.06
325/1, 2	0.07
324/3	0.06
332/2	0.11
333/1	0.42
341	0.06
334	0.12
287	0.03
291/3	0.03
324/2	0.03
योग	2.56

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-दल्लीराजहरा-रावघाट-जगदलपुर नई रेल्वे लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौंडीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 20 जुलाई 2007

क्रमांक 1436/अ-82/ले. पा./भू-अर्जन/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-दुर्ग

(ख) तहसील-बालोद

(ग) नगर/ग्राम-डौण्डी, प. ह. नं. 32

(घ) लगभग क्षेत्रफल-10.07 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
15	0.25
92/1	0.01
92/2	0.01
92/3	0.01
558	0.15
56	0.08
52	0.15
54	0.12
49/1	0.04
59/2	0.05
49/3	0.05
225	0.06
927/4	0.42
926	0.06
920	0.25
978	0.23
979	0.02
980	0.05
981	0.69
1201	0.22
1200	0.52
1282	0.12
1272	0.12
1271	0.04
1285	0.24
1270	0.43
1325	0.27
1340	0.12
1339/1	0.17
1339/2	0.15
1342	0.07
1343	0.10
1338	0.15
1344	0.07
1345	0.08
1346	0.01
1348	0.05
1349	0.10
1350	0.01
1351	0.07
1358	0.07
1363	0.03
1364	0.02
1365	0.09
1371	0.04

(1)	(2)
1372	0.01
1374	0.33
1375	0.09
1356	0.02
1380	0.04
1360	0.08
1361	0.08
1406	0.07
1427	0.06
1424	0.09
1428	0.07
1429	0.04
1435	0.12
1436	0.04
1437	0.15
1451	0.20
1452	0.24
1450	0.19
1466	0.18
1467	0.10
1468	0.03
1469	0.19
1470	0.26
1471	0.10
1199	0.11
1216	0.03
1448/18	0.18
79	0.04
81	0.21
12/1	0.05
12/2	0.06
12/3	0.05
80/1	0.05
80/2	0.06
80/3	0.08
13	0.20
14/1	0.11
योग	10.07

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-दल्लीराजहरा-रावघाट-जगदलपुर नई रेल्वे लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौंडीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 20 जुलाई 2007

क्रमांक 1438/अ-82/ले. पा./भू-अर्जन/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बालोद
- (ग) नगर/ग्राम-गोटुलमुण्डा, प. ह. नं. 24
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.22 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
29/2	0.09
29/3	0.05
30	0.05
48	0.03
योग 4	0.22

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-दल्लीराजहरा-रावघाट-जगदलपुर नई रेल्वे लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौंडीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 20 जुलाई 2007

क्रमांक 1440/अ-82/ले. पा./भू-अर्जन/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-दुर्ग

(ख) तहसील-बालोद

(ग) नगर/ग्राम-खैरवाही, प. ह. नं. 30

(घ) लगभग क्षेत्रफल-30.02 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
283/1	0.12
283/2	0.07
283/3	0.09
283/4	0.07
283/5	0.12
282	0.14
279	0.01
284/1	0.05
288	0.33
278	0.04
287	0.01
290	0.07
291	0.28
277	0.02
276	0.06
292/2	0.09
292/1	0.30
292/3	0.01
292/4	0.01
292/5	0.01
292/6	0.01
292/7	0.01
293/10	0.12
293/8	0.09
293/6	0.21
293/5	0.11
293/4	0.17
293/3	0.04
293/9	0.01
295/1	0.01
296	0.22
297/10	0.11
297/5	0.05
297/8	0.07
309/1	0.39
309/2	0.06
313/1	0.06
313/2	0.06
313/3	0.06
313/4	0.05
310	0.47
308	0.34
370	0.60
375/1	0.43
375/2	0.06
375/3	0.06
375/4	0.06
376/1	0.04
376/3	0.48
372	0.22
371	0.31
374/2	0.12
374/3	0.39
373	0.25
365	0.45
379	0.20
380/1	0.20
380/2	0.21
366	0.24
596	0.49
597	0.09
598	0.07
594/2	0.03
577	0.11
576	0.02
595	0.46
657	0.31
654	0.27
653	0.09
652	0.16
651/1	0.09
651/2	0.09
650	0.04
649	0.04
648	0.09
647	0.51
645	0.04
644	0.16
643	0.12
642	0.22
641	0.15
640	0.37

(1)	(2)
633/1	0.04
633/2	0.02
634	0.07
638	0.20
639	0.17
635/1	0.21
635/2	0.07
636/5	0.15
636/1	0.10
636/2	0.05
636/3	0.08
634/4	0.10
636/6	0.10
636/7	0.18
628/1	0.24
625	0.27
624	0.12
683	0.63
677	0.05
646/2	0.15
684	0.45
687	0.29
643/3	0.11
622	0.80
646/1	0.08
700/1	0.10
700/2	0.15
700/3	0.15
700/4	0.62
700/5	0.22
701/1	0.21
701/2	0.20
701/3	0.01
701/4	0.01
701/5	0.01
701/6	0.01
701/7	0.01
701/8	0.01
702	6.30
714/1	0.77
714/2	0.20
703/3	0.50
703/4	1.48
367	0.35
297/7	0.25
297/9	0.11
655	0.20
637	0.46
योग	30.02

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-दल्लीराजहरा-रावघाट-जगदलपुर नई रेल्वे लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौंडीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 20 जुलाई 2007

क्रमांक 1442/अ-82/ले. पा./भू-अर्जन/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बालोद
- (ग) नगर/ग्राम-मलकुंवर प. ह. नं. 30
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.03 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
223/3	0.32
223/2	0.08
224	0.15
225	0.06
229	0.05
233	0.27
237	0.18
244/1	0.08
244/2	0.04

(1)	(2)
241	0.05
251	0.03
245/1	0.05
245/2	0.04
277	0.03
276	0.03
278/1	0.06
278/2	0.06
282/1	0.05
282/2	0.04
282/3	0.04
282/4	0.04
282/5	0.04
282/6	0.10
287/7	0.13
282/8	0.10
282/10	0.10
282/12	0.03
283/1	0.02
283/2	0.09
284	0.09
288/2	0.07
288/1	0.09
188/3	0.08
335/5	0.05
335/6	0.11
339/1	0.03
339/2	0.10
339/3	0.03
339/4	0.03
341/2	0.04
341/3	0.06
338/4	0.09
338/3	0.12
338/2	0.15
338/1	0.02
353/1	0.13
353/2	0.13
353/3	0.07
354	0.36
361/2	0.13
361/3	0.16
363	0.40
367/1	0.13
योग	5.03

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-दल्लीराजहरा-रावघाट-जगदलपुर नई रेल्वे लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौंडीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 20 जुलाई 2007

क्रमांक 1444/अ-82/ले. पा./भू-अर्जन/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बालोद
- (ग) नगर/ग्राम-गुदुम, प. ह. नं. 33
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-26.91 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
35/3	0.40
35/6	0.03
47	0.01
48/1	0.15
48/3	0.19
48/4	0.03
52	0.05
53	0.40
57	0.27
51/1	0.02
51/2	0.01
139	0.13
140	0.11

(1)	(2)	(1)	(2)
141	0.10	231	0.84
142	0.10	232	0.56
143	0.07	233	0.26
144/1	0.22	234	0.23
144/2	0.15	235/1	0.15
144/3	0.20	235/2	0.15
145	1.04	236	0.26
146	0.04	237/1	0.51
147	0.04	237/2	0.25
148	0.04	237/3	0.25
150	0.02	237/4	0.10
149	0.02	237/5	0.10
151	0.02	237/6	0.20
152	0.03	237/7	0.25
153	0.01	238	[illegible]
154	0.02	240	0.35
162	0.24	241	0.04
163	0.17	242	0.02
164/1	0.20	763/2	0.08
164/2	0.43	763/3	0.11
165	0.10	760/5	0.60
44	0.38	760/1	0.90
166	0.08	760/2	0.42
176	0.07	760/3	0.26
177/1	0.28	766/4	0.12
177/2	0.29	766/5	0.13
177/3	0.27	766/2	0.22
178	0.58	766/3	0.03
179	0.24	766/1	0.20
180	0.77	760/4	0.34
181	0.10	760/6	0.13
264	0.13	769	0.12
265/1	0.03	770	0.11
265/2	0.03	771	0.09
266	0.20	772	0.11
267	0.01	773	0.13
212/1	0.34	774	0.14
212/2	0.26	775	0.09
212/3	0.23	776	0.13
212/4	0.31	777/1	0.64
212/5	0.05	777/2	0.77
212/6	0.22	780	0.20
212/7	0.15	778/1	0.20
202	0.70	778/2	0.13
213	1.05	779/1	0.11
214	0.80	779/2	0.28
230	0.02	779/3	0.12

(1)	(2)
827/1	0.15
827/2	0.14
828/8	0.08
828/9	0.20
828/10	0.10
828/13	0.10
828/12	0.26
828/1	0.69
831	0.15
832/1	0.03
832/2	0.06
833	0.06
836	0.05
856	0.18
855/1	0.10
855/2	0.01
847	0.01
845	0.17
846	0.01
828/2	0.02
134	0.01
128	0.02
126	0.02
योग	26.91

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-दल्लीराजहरा-रावघाट-जगदलपुर नई रेल्वे लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौंडीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 20 जुलाई 2007

क्रमांक 1446/अ-82/ले. पा./भू-अर्जन/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बालोद
- (ग) नगर/ग्राम-छिंदगांव, प. ह. नं. 33
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.93 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
349	0.14
346	0.28
345/3	0.30
336	0.15
355	0.06
357	0.19
360/1	0.22
360/3	0.14
361	0.09
394	0.01
396	0.10
395	0.05
391	0.06
390	0.12
388	0.06
385	0.03
378	0.30
379/3	0.07
376	0.49
244	0.08
245	0.07
345/1	0.08
345/2	0.64
384	0.20
योग	3.93

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-दल्लीराजहरा-रावघाट-जगदलपुर नई रेल्वे लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौंडीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 20 जुलाई 2007

क्रमांक 1448/अ-82/ले. पा./भू-अर्जन/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बालोद
- (ग) नगर/ग्राम-मरकाटोला, प. ह. नं. 32
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.54 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
860	0.15
859	0.30
857/5	0.02
758/6	0.04
857/7	0.03
857/8	0.11
870	0.01
873	0.04
872/1	0.25
871	0.01
904/1	0.09
895	0.12
896	0.10
897/2	0.18
902	0.41
903/3	0.21
903/4	0.21
913	0.37
914/2	0.26
914/3	0.28
917	0.30
858	0.05
योग	3.54

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-दल्लीराजहरा-रावघाट-जगदलपुर नई रेल्वे लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौंडीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 22nd June 2007

No. 4172/L. G./2007/II-2-19/2006.—Shri Rajendra Chandra Singh Samant, District & Sessions Judge, Kabirdham (Kawardha) (C. G.) is hereby, granted earned leave for 04 days from 10-07-2007 to 13-07-2007 along with the permission to remain out of headquarters from 10-07-2007 to 15-07-2007.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Rajendra Chandra Singh Samant, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 240+11 days of earned leave are remaining in his leave account.

Bilaspur, the 6th July 2007

No. 4546/L. G./2007/II-3-13/2007.—Shri N. D. Tigala, Additional Registrar (Judicial), High Court of Chhattisgarh, Bilaspur is hereby, granted earned leave for 05 days from 09-07-2007 to 13-07-2007 with permission to prefix holiday falling on 08-07-2007 (Sunday) and suffix holidays falling on 14-07-2007 & 15-7-2007 (Saturday & Sunday) along with the permission to leave headquarters from the evening of 08-07-2007 to the morning of 16-07-2007.

On return from leave Shri N. D. Tigala, Additional Registrar (Judicial), High Court of Chhattisgarh, Bilaspur is posted on the same post on which he was posted prior to his proceeding on the aforementioned leave.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri N. D. Tagala, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 240+10 days of earned leave are remaining in his leave account.

Bilaspur, the 7th July 2007

No. 281/Confdl./2007/II-2-1/2007.—The following Member of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2) is transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and is posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date he assumes charge of his office; and

The following Member of Higher Judicial Service is appointed as Additional Sessions Judge for the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date he assumes charge of his office :-

TABLE

S. No. (1)	Name & Presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Naresh Kumar Chandrawanshi, Chairman, Permanent Lok Adalat Raipur.	Raipur	Raipur	Raipur	I Additional District & Sessions Judge.

Bilaspur, the 9th July 2007

No. 4604/L. G./2007/II-2-15/2002.—Shri Ashok Kumar Panda, District & Sessions Judge, Koria (Baikunthpur) is hereby, granted earned leave for the following period :—

1. 01 day on 27-12-2006
2. 06 days from 30-07-2007 to 04-08-2007 and permission to prefix holiday of 29-07-2007 (Sunday) & suffix holiday of 05-08-2007 (Sunday) along with the permission to leave headquarters from the morning of 29-07-2007 before the office hours of 06-08-2007.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Ashok Kumar Panda had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 207 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

बिलासपुर, दिनांक 10 जुलाई 2007

क्रमांक 4665/तीन-6-2/2007.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्यांक 2 सन् 1974) की धारा 260 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ बिलासपुर निम्नलिखित न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी को उक्त धारा 260 में उल्लेखित अपराधों के संक्षेपत: विचारण हेतु विशेषतया सशक्त करता है :—

अनु. (1)	न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी का नाम (2)	वर्तमान पदस्थापना (3)	सिविल जिला (4)
1.	अश्वनी कुमार चतुर्वेदी, न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	राजनांदगांव	राजनांदगांव
2.	श्री मधुसूदन चन्द्रकार, न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	डोंगरगढ़	राजनांदगांव
3.	श्री भानुप्रताप सिंह त्यागी, न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	खैरागढ़	राजनांदगांव
4.	श्री पुरूषोत्तम सिंह मरकाम, न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	भानुप्रतापपुर	कांकेर

No. 4665/III-6-2/2007.—In exercise of the powers Conferred under clause (c) of sub-section (1) of Section 260 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh hereby specially empowers the following Judicial Magistrates First Class to try in a summary way all or any of the offences specified in the said Section :—

Sr.No. (1)	Name of the Judicial Magistrate First Class (2)	Present place of posting (3)	Civil District (4)
1.	Ashwani Kumar Chaturvedi, Judicial Magistrate First Class.	Rajnandgaon	Rajnandgaon
2.	Shri Madhusudan Chandrakar, Judicial Magistrate First Class.	Dongargarh	Rajnandgaon
3.	Shri Bhanupratap Singh Tyagi, Judicial Magistrate First Class.	Khairagarh	Rajnandgaon
4.	Shri Purushottam Singh Markam, Judicial Magistrate First Class.	Bhanupratappur	Kanker

बिलासपुर, दिनांक 10 जुलाई 2007

क्रमांक 4667/तीन-6-1/2007.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 11 को उपधारा (3) सहपठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ श्री राकेश कुमार सोम, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 एवं न्यायिक मैजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी कांकेर जिला उत्तर बस्तर कांकेर को न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की शक्तियां प्रदान करता है.

Bilaspur, the 13th July 2007

No. 339/Confdl./2007/II-2-3/2002.—The following Member of Higher Judicial Service holding the scale of District Judge (Entry Level) as specified in column No. (2), is hereby granted Selection Grade Scale of Rs. 18750-400-19150-450-21850-500-22850 from the date mentioned in column No. (3) of the table below :—

TABLE

S. No.	Name of Judicial Officer with present designation	Date of grant of Selection Grade Scale
(1)	(2)	(3)
1.	Shri Sharad Kumar Gupta, Special Judge under SC & ST (Prevention of Atrocities) Act, Rajnandgaon.	06-03-2006

Note : The name of Shri Sharad Kumar Gupta shall be below the name of Shri Mahendrapal Singhal in the Provisional Gradation List of District Judge (Selection Grade).

Bilaspur, the 18th July 2007

No. 4904/R. G./Bilaspur/2007.—In the administrative interest and smooth functioning of work of "Right to Information", Shri Ganpat Rao, A. R. (Adm.) is designated as Public Information Officer for the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur in place of Shri A. R. L. Narayana, Additional Ragistrar (M.) and he is hereby directed to perform the duties of P. I. O. in addition to his own work.

बिलासपुर, दिनांक 23 जुलाई 2007

क्रमांक 5051/2007/II-2-11/2005.—श्री टी. के. चक्रवर्ती, तत्कालीन रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश प्रशासनिक अधिकरण, बेंच, रायपुर वर्तमान में महामहिम राज्यपाल महोदय के विधि सलाहकर, राज भवन, रायपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 23-5-2007 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि (दिनांक 01-11-1999 से 31-10-2001) के लिए दिनांक 1-10-2001 से उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ. ग./06, दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
एच. एस. मरकाम, रजिस्ट्रार